



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-11.06.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 7500/- रु0 अर्थदण्ड की सजा ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0388/2020 धारा 457,380,411,413,414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल चौहान पुत्र छेदी चौहान निवासी भगवानाला हुकुलगंज थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-10.06.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC-I वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त विशाल चौहान उपरोक्त को अंतर्गत धारा 457 भा0द0वि0 मे 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 380 भा0द0वि0 मे 03 वर्ष के कठोर कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 413 भा0द0वि0 मे 04 वर्ष के कठोर कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 414 भा0द0वि0 मे 03 वर्ष के कठोर कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।